



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 3036
प्रति,

बिलासपुर, दिनांक 24/11/2022

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध)

अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land for non- forest Purpose under forest conservation Act, 1980 for Rehabilitation & Upgrading of Dharamjaigarh Kapu road, area 10.465 ha. - regarding Reg. No. FP/CG/Road/43587/2019

संदर्भ :-1. आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एल.-115 - 844/1944 दिनांक 17.08.2022

2. वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ का पत्र क्र./1577, दिनांक 17.11.2022

विषयांतर्गत लेख है कि प्रकरण में धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण का कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत कुल क्षेत्र 10.465 हे. वनभूमि का गैर-वानिकी उपयोग हेतु आनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/Road/43587/2019 आबंटित किया गया है। संदर्भित पत्र द्वारा उक्त प्रकरण में 02 बिन्दु की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। जिसकी जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर सम्प्रेषित है।

क्र.	वांछित जानकारी	पालन प्रतिवेदन
1	प्रस्ताव के अन्य सभी दस्तावेजों में आवेदित गैर वानिकी कार्यों के विवरण में Rehabilitation & Upgrading of Dharamjaigarh Kapu road लेख किया है। जिसका तात्पर्य उक्त सड़क का पुर्नवास तथा उन्नयन है, जबकि संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 01 में धरमजयगढ़ कापू मार्ग को आवेदक के आवेदन पृ.क्र. 02 में आवेदित कार्य को मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य प्रस्तावित किया गया है, वहीं प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्र. 26 के भाग -2 एवं भाग-3 में वनमण्डलाधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर द्वारा उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। कृपया आवेदित कार्य के स्वरूप को स्पष्ट करें तथा तदनुसार सम्पूर्ण प्रस्ताव में एकरूपता के साथ संशोधित करें।	आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार कापू धरमजयगढ़ सड़क उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण के नाम से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुआ है। तथा उक्त सड़क में लोक निर्माण विभाग (ए. डी.बी.) द्वारा सड़क का सुदृढीकरण एवं चौड़करण का कार्य किया जावेगा (प्रमाण पत्र संलग्न है)। उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण के नाम से 45 बिन्दु का प्रस्ताव का संशोधन कर संलग्न है।
2	प्रस्ताव के पृ.क्र. 221 में गैर वनभूमि की अनुपलब्धता का मुख्य सचिव, का प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना है, किन्तु कलेक्टर रायगढ़ का प्रमाण पत्र संलग्न है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	मुख्य सचिव का गैर वनभूमि की अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संशोधित प्रस्ताव में संलग्न है।

संलग्न :- संशोधित प्रस्ताव।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ.क्र./तक./ 3037
प्रतिलिपि :-

/बिलासपुर, दिनांक 24/11/2022

(1) वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर